उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

17/08/17 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी अभिभाषक अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित, जवाब के लिए समय चाहते हैं। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/08/17 को पेश हो।

29/8/17 पत्रावली पेश हुई। अभि. वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~[illegible]~~। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/9/17 को वास्ते जवाब पेश हो। कलेक्टर

उप खण्ड अधिकारी

12/9/17 पत्रावली देखी वकील वादी का व वादी स्वयं के बीच-बीच मर्दाना आवाज सुनाई दी जो गाड़ी में सवार थे। अतः वादक वादी अनुपस्थित 88 रा.वि.एक्ट अंतर्गत वादी व अन्य पेशियों के खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद के क्रम में जाकर शामिल फैसल है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी